राजस्थान विधान सभा

छठा सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 04 मार्च, 2016

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.24(6)वित्त/कर/2016-181 दिनांक 3.3.2016 जिसके द्वारा हिन्दी फिल्म 'नीरजा' के प्रदर्शन को दिनांक 4.3.2016 से 3.3.2017 तक सशर्त मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है ; सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड़ का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) श्री सुरेन्द्र गोयल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3)(एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(III) श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड़ का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 सदन की मेज पर रखेंगे।

(IV) श्री राजकुमार रिणवा, पर्यावरण राज्यमंत्री, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जल अधिनियम, 1974 की धारा-39(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012, 2012-2013 एवं 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति,अधीनस्थ विधान संबंधी समिति,2015-2016 समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

जारी..2..

4. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

1- दौसा शहर स्थित प्राचीन किले का जीर्णोद्धार करने बाबत् ।

2- विधान सभा क्षेत्र दौसा नगर परिषद क्षेत्र स्थित प्राचीन बावड़ियों के जीर्णोद्धार बाबत्।

(II) श्री रामपाल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

1- विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के परवन पिक-अप वियर व उसकी नहरों की मरम्मत का कार्य करवाये जाने बाबत् ।

2- ग्राम किशनपुरा, ग्राम पंचायत किशनपुरा, तहसील अटरू, जिला-बारां में पशु चिकित्सालय खोलने बाबत् ।

(III) श्री संदीप शर्मा, सदस्य, विधान सभा, कोटा दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय प्रारम्भ करवाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(IV) श्री मेवाराम जैन, सदस्य, विधान सभा, बाड़मेर शहर में सीवरेज कार्य के तृतीय चरण को स्वीकृत करने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(V) श्रीमती अमृता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, जालोर के किले (दुर्ग) तक सड़क बनवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(VI) श्री ललित कुमार, सदस्य, विधान सभा, तहसील किशनगंज, जिला बारां में दिलोद विरान एनीकट स्वीकृत कराने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(VII) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य, विधान सभा, जयपुर शहर स्थित कालवाड़ रोड़ पर गोविन्दपुरा की बालाजी विहार द्वितीय कॉलोनी में पेयजल की समस्या का समाधान करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(VII) श्रीमती संजना आगरी, सदस्य, विधान सभा, कारगिल युद्ध में शहीद पूनाराम के राजस्व ग्राम खाखरा को ग्राम पंचायत मुख्यालय तक डामरीकृत सड़क से जोड़ने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

जारी..3..

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

श्री मोहनलाल गुप्ता (वि.सं.-131), सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2016 को प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 03 मार्च, 2016